

गंदे / कटे-फटे नोटों की बदली / स्वच्छ नोटों की नीति

- बैंक ग्राहकों और गैर ग्राहकों से कटे-फटे नोटों व सिक्कों की बदली स्वीकार करता है.
- ऐसे नोटों की स्वीकृति की प्रक्रिया को आरबीआई के नोट रिफंड नियमों के अनुसार परिभाषित किया गया है.
- हम करेंसी नोटों को स्टेपल बिना या बिना सिली हुई स्थिति में ही स्वीकार करते और देते हैं.
- कृपया नोटों पर नहीं लिखें या निशान न लगाएँ.
- कृपया काउंटर छोड़ने से पहले करेंसी नोट्स गिनें और जाँच लें.
बाद में किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा.